दिनॉक–15–07–2019 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला वृक्षारोपण समिति बाराबंकी की अध्यक्षता में लोक सभागार, बाराबंकी में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक दिनॉक 15–07–2019 को लोक सभागार, बाराबंकी में जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:–

1–प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
2–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
4–उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
6–जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
7–अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।
8–अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।
9–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।
10–अधिशासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।
11–अधिशासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कुर्सी, बाराबंकी
12–उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।
13–जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।
14–जिला सहकारी समितियॉं, बाराबंकी
15–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।
16–उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी।
17–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
18–सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।
19–जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।
20–उप निरीक्षक,पुलिस विभाग।
21–प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू,स्मारक पी0जी0 कालेज बाराबंकी।
22–प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, बाराबंकी।
23–समस्त खण्ड विकास अधिकारी,बाराबंकी।

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में समस्त समिति के सदस्यों एवं बैठक में प्रतिभाग कर रहे अधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा पुनः यह अवगत कराया गया कि वर्षाकाल–2019 में जनपद में वन विभाग को कुल–1431132 पौध एवं अन्य विभागों को कुल–2977129 पौध का रोपण का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया गया है। पौधों का रोपण 15 अगस्त को एक ही दिन में किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल–39 पौधशालाओं में कुल 5492748 पौध उपलब्ध है। प्रजातियों का निर्धारण माइक्रोप्लान के आधार पर किसानों की मांग के अनुरूप किया गया है। पौधशालाओं में प्रमुख प्रजातियॉं सागौन, यूकेलिप्टस, शीशम, कदम्ब,आम, जामुन,नीम, पीपल,बरगद, प्रासपिस, गोल्डमोहर आदि हैं

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 1166 ग्राम पंचायतों में 2550 पौध रोपित किया जाना है। इस सम्बन्ध में पौधों की प्रजातिवार मांग ग्राम पंचायतवार खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा की जानी है। मांग पत्र के अनुसार प्रभागीय कार्यालय से QR कोड अंकित पौध आपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा, जिसे पौधशाला/रेंज कार्यालय में प्राप्त कराये जाने पर सम्बन्धित को निःशुल्क पौध उपलब्ध करायी जायेगी।

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः–

1–प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 2–2 सहजन के पौध उपलब्ध कराया जाये, जिन्हें लाभार्थी अपने घर के सामने लगाये एवं उनकी सुरक्षा करें। **(कार्यवाही–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी)**

2–रोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य, गढढा खुदान कार्य 20 जुलाई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाये एवं प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी को ईमेल–dfobbk@gmail.com पर दी जाए । **(कार्यवाही–समस्त कार्यदायी विभाग)**

3–15 अगस्त रोपण सुचारू रूप से संचालित करने एवं पर्यवेक्षण कार्य हेतु सेक्टर अधिकारी एवं जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिये जायें। **(कार्यवाही–प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी)**

4–रोपण कार्य गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न किया जाये तथा रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था की जाये। प्रत्येक दशा में रोपण की सफलता सुनिश्चित की जाये। **(कार्यवाही– समस्त कार्यदायी विभाग)**

5–प्रत्येक ग्राम सभा में 2550 पौध रोपित किये जाने हेतु ग्राम पंचायतवार प्रजातिवार पौधों की मांग खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अगले तीन दिन में प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी को उपलब्ध करा दिया जाये। **(कार्यवाही–समस्त खण्ड विकास अधिकारी)**

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी
पत्रांक–172 /29–1 (वन) दिनॉक,बाराबंकी 18/07 /2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–मुख्य वन संरक्षक,मध्य क्षेत्र,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2–वन संरक्षक,सरयू वृत्त,उत्तर प्रदेश,फैजाबाद।
3–मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

संख्या– 272 /उक्त दिनाँकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1–पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
2–अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3–कर्नल 252 बम डिस्पोजल कम्पनी, बाराबंकी।
4–प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
5–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
6–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
7–उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
8–जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
9–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
10–जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
11–अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।
12–अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।
13–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।
14–अधिशासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।
15–अधिशासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कुर्सी, बाराबंकी
16–उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।
17–जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।
18–जिला सहकारी समितियाँ, बाराबंकी
19–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।
20–जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी
21–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
22–सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।
23–जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।
24–अवर अभियन्ता (कार्य) उत्तर रेलवे, बाराबंकी।
25–प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरु,स्मारक पी0जी0 कालेज बाराबंकी।
26–प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, बाराबंकी।
27–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

0/c

दिनॉक–20–06–2019 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला वृक्षारोपण समिति बाराबंकी की अध्यक्षता में लोक सभागार, बाराबंकी में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक दिनॉक 20–06–2019 को लोक सभागार, बाराबंकी में जिलाधिकारी, बाराबंकी के निर्देशन में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:–

1–प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
2–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
4–उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
6–जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
7–अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।
8–अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।
9–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।
10–अधिशासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।
11–अधिशासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कुर्सी, बाराबंकी
12–उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।
13–जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।
14–जिला सहकारी समितियॉं, बाराबंकी
15–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।
16–उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी।
17–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
18–सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।
19–जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।
20–उप निरीक्षक,पुलिस विभाग।
21–प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू,स्मारक पी0जी0 कालेज बाराबंकी।
22–प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, बाराबंकी।

जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में समस्त समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा पुनः यह अवगत कराया गया कि वर्षाकाल–2019 में जनपद में कुल 4467000 पौधों का रोपण किया जाना है। वन विभाग को कुल–1418131 पौध एवं अन्य विभागों को कुल–2988569 पौध का रोपण का लक्ष्य शासन स्तर से निर्धारित किया गया है। पौधों का रोपण 15 अगस्त को एक ही दिन में किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि विभागवार रोपण लक्ष्य जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक–1417/29–1 दिनॉक 14–10–2018 द्वारा समस्त कार्यदायी विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है। पुनः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विभागवार आवंटित रोपण लक्ष्य उपस्थित अधिकारियों को नोट कराया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा प्रभाग की पुरानी 14 एवं नई 25 कुल–39 पौधशालाओं में कुल 5492748 पौध तैयार की जा रही है, पौधशालाओं में तैयार की गयी मुख्य प्रजातियॉं सागौन, यूकेलिप्टस, शीशम, कदम्ब,आम, जामुन,नीम, पीपल,बरगद, प्रासपिस, गोल्डमोहर,पापुलर,अमरूद, कंजी, ऑंवला, सहजन आदि हैं

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद में 1166 ग्राम पंचायतें हैं। वन विभाग को छोड़कर जनपद में कुल 2988569 पौधों का रोपण किया जाना है। इस प्रकार प्रत्येक गाँव में यदि 2550 पौध रोपित किये जाये तो जनपद का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा।

शासन द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ पाने वाले कृषकों को 10 पौध रोपण अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय के लाभार्थियों को भी कम से कम 01 पौध रोपण किया जाना अनिवार्य किया गया है।

स्वयं सेवी समूह के सदस्यों द्वारा प्रत्येक हैण्डपम्प के बगल में 01 पौधरोपित करना अनिवार्य किया गया है । सहजन के पौधों का रोपण भी ज्यादा से ज्यादा किये जाने का निर्देश दिया गया है।

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि–

1–एक ही दिन में 15 अगस्त को रोपण हेतु यह आवश्यक है कि एक अगस्त से 14 अगस्त के मध्य पौधों का पौधशाला से ढुलान करके सम्बन्धित ग्राम तक पहुँचा दिया जाये तथा लाभार्थियों का चयन करके गढढा खुदान कार्य 10 अगस्त से पूर्व पूर्ण कर लिया जाये। पौध का ढुलान ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम विकास निधि से नियमानुसार किया जाए।

2–शासन द्वारा ग्राम पंचायत को रोपण कार्य हेतु नोडल इकाई निर्धारित किया गया है। अतः ग्राम प्रधान / ग्राम सेवक / रोजगार सेवक का यह दायित्व होगा कि वे अपने ग्राम सभा में रोपित किये जाने वाले 2550 पौधों हेतु लाभार्थियों/स्थल/कार्यदायी विभाग का चयन कर लें तथा वन विभाग द्वारा निर्धारित पौधशालाओं से पौध प्राप्त कर 14 अगस्त से पूर्व लाभार्थियों /सम्बन्धित संस्था को में वितरित कर दें। समस्त अन्य विभाग ग्रामवार अपने लक्ष्य तथा स्थल सम्बन्धित ग्राम प्रधान/रोजगार सेवक/ग्राम सेवक को उपलब्ध करा दें, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार किये जाने वाले पौध मांग पत्र में उनकी मांग को भी सम्मिलित किया जा सके।

3–पौध निःशुल्क वितरण किया जाना है। अतः ग्राम प्रधान / ग्राम सेवक /रोजगार सेवक द्वारा प्रत्येक ग्राम सभाओं में एक पौध वितरण रजिस्टर वन विभाग द्वारा बताये गये निर्धारित प्रारूप में संधारित की जायेगा तथा यथा स्थान प्रविष्टियाँ अंकित की जायेगी। पौध वितरण के उपरान्त उक्त पंजिका सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी को सूचनायें उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु उपलब्ध करायी जायेंगे।

4–सम्बन्धित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान / ग्राम सेवक /रोजगार सेवक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह 10 अगस्त से पूर्व अग्रिम मृदा कार्य सम्बन्धित लाभार्थियों, कार्यदायी संस्थाओं से करा लेवें तथा 15 अगस्त को रोपण पूर्ण करायें।

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा दिये गये निर्णयों का अनुपालन किया जाए।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा बैठक समाप्त की गयी।

25.6.19

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

DFO

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक-5190/29-1 (वन) दिनॉक,बाराबंकी 22/06/2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-मुख्य वन संरक्षक,मध्य क्षेत्र,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

2-वन संरक्षक,सरयू वृत्त,उत्तर प्रदेश,फैजाबाद।

3-मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

संख्या- /उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1-पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।

2-अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।

3-कर्नल 252 बम डिस्पोजल कम्पनी, बाराबंकी।

4-प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

5-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।

6-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।

7-उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।

8-जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।

9-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।

10-जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।

11-अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।

12-अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।

13-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।

14-अधिशासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।

15-अधिशासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फुर्सी, बाराबंकी

16-उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।

17-जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।

18-जिला सहकारी समितियाँ, बाराबंकी

19-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।

20-जिला कृषि अधिकारी/उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी को इस आशय से प्रेषित कि वे ग्रामवार प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची सम्बन्धित को समय से उपलब्ध करा दें।

21-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।

22-सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।

23-जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।

24-अवर अभियन्ता (कार्य) उत्तर रेलवे, बाराबंकी।

25-प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू,स्मारक पी0जी0 कालेज बाराबंकी।

26-प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, बाराबंकी।

27-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।

25.6.19

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

दिनॉक–06–03–2019 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला वृक्षारोपण समिति बाराबंकी की अध्यक्षता में लोक सभागार, बाराबंकी में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता मे जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक दिनॉक 06–03–2018 को लोक सभागार, बाराबंकी में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1–प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।

2–मुख्य चिकित्साधिकारी,बाराबंकी।

3–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,बाराबंकी।

4–जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।

5–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,बाराबंकी।

6–जिलापूर्ति अधिकारी, बाराबंकी।

7–जिला उद्यान अधिकारी,बाराबंकी।

8–उपायुक्त,उद्योग,बाराबंकी।

9–अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग,बाराबंकी।

10–उप निदेशक,कृषि, बाराबंकी।

11–सहायक निदेशक,रेशम विभाग,बाराबंकी।

12–अधिशासी अधिकारी,नगरपालिका,बाराबंकी।

13–जिला पंचायत राज अधिकारी,बाराबंकी।

14–उपायुक्त मनरेगा, बाराबंकी।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं उपस्थित अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि जनपद बाराबंकी को वर्ष 2019–20 में कुल–4460700 पौधों के रोपण का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य में से 1418131 पौध वन विभाग को एवं 2988559 पौध अन्य विभागों को रोपित करना है।

15 अगस्त–2019 को जनपद में एक दिन में 2203490 पौधों का रोपण करना है जिसमें से वन विभाग 709100 एवं अन्य कार्यदायी विभागों को 1494390 पौधों का रोपण करना है।

प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा लक्ष्य के अनुसार स्थलों का चयन कर 141 स्थलों पर 14 लाख गढ्ढों का खुदान कर लिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष जनपद में 5080900 पौध तैयार करने का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से 15 पुरानी पौधशालाओं के अतिरिक्त 24 नई पौधशालायें स्थापित की गयी है। इन नई/पुरानी पौधशालाओं में कुल 4838450 नई पौध उगायी जानी है। वर्षाकाल–2019 में अवशेष पुरानी पौध 639000 सहित जनपद में कुल 5477450 पौध उपलब्ध होगी।

1166 ग्राम सभाओं में बैठक करके प्रत्येक गाँव के लिए माइक्रोप्लान तैयार कर लिया गया है। माइक्रोप्लान के अनुसार विभाग को छोड़कर कुल 3163000 पौधरोपण की कार्ययोजना तैयार की गयी है।

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1–15 अगस्त–2019 को जनपद में रोपित किये जाने वाले 2203490 पौध रोपण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रथम चरण में युद्ध स्तर पर तैयारी की जाये तथा इसके लिए स्थान चयनित कर अभी से गढ्ढा खुदान कार्य करा लिया जाये।

2–जनपद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यदायी विभाग अभी से स्थल चयनित कर लें तथा बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर लें।

3–जनपद में स्थापित की गयी नई गौशालाओं के किनारे सुरक्षा खाई पर जैविक बाड़ तैयार करने हेतु करौंदे के पौधों का रोपण किया जाये। प्रभागीय वनाधिकारी,बाराबंकी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि गौशाला में सुरक्षा खाई पर ग्रीष्मकालीन में करौंदा, बबूल, खैर, जंगलजलेबी, शीशम एवं अरू के बीज यदि मिलाकर बो दिया जाता है तो वर्षाकाल में अच्छा जैविक बाड़ तैयार हो जायेगा। जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गयी।

4–विगत वर्ष वर्षाकाल–2018 में किये गये रोपण की जी0ओ0 टैगिंग शत–प्रतिशत कर लिया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि वन विभाग एक टीम बनाकर सम्बन्धित विभागों की सहायता लेते हुए जी0ओ0 टैगिंग करावें।

5–विगत वर्ष वर्षाकाल–2018 में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस रोपण क्षेत्र में रोपण किया गया था उसमें शत–प्रतिशत सफलता सुनिश्चित किया जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी, बाराबंकी / अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक–3775 / 29–1 (वन) दिनॉक,बाराबंकी 11/03 / 2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–मुख्य वन संरक्षक,मध्य क्षेत्र,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2–वन संरक्षक,सरयू वृत्त,उत्तर प्रदेश,फैजाबाद।

जिलाधिकारी, बाराबंकी / अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

क्रमशः पेज–3 पर

संख्या– 3775 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
2–अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3–कर्नल 252 बम डिस्पोजल कम्पनी, बाराबंकी।
4–प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
5–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
6–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
7–उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
8–जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
9–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
10–जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
11–अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।
12–अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।
13–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।
14–अधिशासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।
15–अधिशासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कुर्सी, बाराबंक
16–उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।
17–जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।
18–जिला सहकारी समितियाँ, बाराबंकी
19–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।
20–उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी।
21–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
22–सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।
23–जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।
24–अवर अभियन्ता (कार्य) उत्तर रेलवे, बाराबंकी।
25–प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज बाराबंकी।
26–प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, बाराबंकी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

दिनॉक–15–10–2018 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला वृक्षारोपण समिति बाराबंकी की अध्यक्षता में लोक सभागार, बाराबंकी में आयोजित जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक दिनॉक 15–10–2018 को लोक सभागार, बाराबंकी में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है।

बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा सदस्यों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि वर्षाकाल–2019 में रोपण करने का लक्ष्य विभागवार शासन द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। उक्त लक्ष्य की सूची जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या–1417/29–1 (वन) दिनॉक–14–10–2018 द्वारा समस्त सम्बन्धित विभागों को भेजी जा चुकी है। बैठक में पुनः जिलाधिकारी, बाराबंकी का पत्र एवं शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्षाकाल–2019 में जनपद–बाराबंकी में कुल 4406700 पौधों का रोपण सभी विभागों द्वारा मिलकर किया जाना है। उक्त रोपण लक्ष्य में से 2203490 लाख पौधों का रोपण 15 अगस्त–2019 को किया जाना है तथा शेष पौधों का रोपण पूरे वर्षाकाल के दौरान किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा यह अवगत कराया गया कि जनपद में वन विभाग को 5060900 पौधे पौधशाला में उगाने हेतु शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रभाग में उपलब्ध संशाधनों से लगभग 15 लाख पौध ही तैयार की जा सकती है। शेष 35 लाख पौधों के उगाने के लिए वित्तीय संशाधनों की व्यवस्था की जानी है। बढे हुए लक्ष्य को उगाने के लिए जनपद में 22 नई पौधशालाओं की स्थापना का भी प्रस्ताव है।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय बजट मनरेगा, विधायक निधि, सांसद निधि एवं खनन विभाग के बजट से किया जा सकता है।

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय से गुणवत्तापूर्वक प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1–शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी का शत–प्रतिशत अनुपालन किया जाए तथा गुणवत्तापूर्ण रोपण करने के लिए अभी से तैयारी प्रारम्भ कर दी जाए।

2–समस्त विभाग अभी से वृक्षारोपण स्थलों का चयन कर लें तथा पौध आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर लें।

3–वृक्षारोपण हेतु बजट की व्यवस्था अभी से कर ली जाये एवं इस सम्बन्ध में यदि आवश्यक है तो जिलाधिकारी, बाराबंकी के स्तर से पत्र शासन को लिखवा लिया जाए।

4–जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा वर्षाकाल–2018 में किये गये रोपणों की जीवितता प्रतिशत सन्तोषजनक सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया तथा जीवित पौधों की स्थलवार सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

5—वर्षाकाल—2018 में किये गये रोपणों की जियो टैगिंग पूर्ण करने के निर्देश भी सम्बन्धित कार्यदायी विभागों को दिया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के सदस्यों/अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। बैठक सम्पन्न हुई।

संलग्नक— बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक— 1485/29—1 (वन) दिनॉक,बाराबंकी 22/10/2018

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—मुख्य वन संरक्षक,मध्य क्षेत्र,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
2—वन संरक्षक,सरयू वृत्त,उत्तर प्रदेश,फैजाबाद।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।

संख्या— /उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
2—अपर जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3—कर्नल 252 बम डिस्पोजल कम्पनी, बाराबंकी।
4—प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।
5—मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
6—मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बाराबंकी।
7—उपायुक्त मनरेगा,जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बाराबंकी।
8—जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
9—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
10—जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
11—अधीक्षण अभियन्ता,आवास विकास, बाराबंकी।
12—अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बाराबंकी।
13—अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, बाराबंकी।
14—अधिषासी अभियन्ता,शारदा सहायक प्रखण्ड, बाराबंकी।
15—अधिषासी अभियन्ता यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कुर्सी, बाराबंकी
16—उपायुक्त, उद्योग बाराबंकी।
17—जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी।
18—जिला सहकारी समितियां, बाराबंकी
19—अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत बाराबंकी।
20—उप निदेशक, कृषि, बाराबंकी।
21—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
22—सहायक निदेशक रेशम विभाग, बाराबंकी।
23—जिला श्रम अधिकारी, बाराबंकी।
24—अवर अभियन्ता (कार्य) उत्तर रेलवे, बाराबंकी।
25—प्राचार्य जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0कालेज, बाराबंकी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी/अध्यक्ष,
जिला वृक्षारोपण समिति, बाराबंकी।